पत्रांक : 04/NULM-87/16 1850 // न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग |

सेवा में,

श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ,
बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना |

पटना, दिनांक 9/8/17

विषय : Recognition of Prior Learning (RPL) के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की सूचि के साथ -साथ क्रियान्वयन हेतु दिशा -निर्देश उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में |

प्रसंग : 04/NULM-04/2016/2547, दिनांक - 16/11/16

महाशय,

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) घटक के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का कार्य Domain-Skilling के माध्यम से किया जा रहा है | विदित हो कि बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) द्वारा Domain-Skilling के तहत् उपलब्ध कराए गए कौशल विकास केन्द्रों में ही कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है |

विदित हो कि बिहार राज्य के बहुत सारे कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिक राज्य, राज्य के बाहर एवं विदेशों में भी खासकर मध्य एशिया में Construction, Fabrication, Plumber, Automotive, Apparel, Retail, आदि sector में कार्य कर रहे हैं | उनमें से बहुत सारे कामगारों को कार्य का अनुभव है परन्तु उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बंधित कोर्स में प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने की वजह से उन्हें या तो संगठित क्षेत्र (organised sector) में नियोजन में परेशानी होती है अथवा उन्हें वेतन/पारिश्रमिक कम मिलता है | यदि उनके कुशलता का प्रमाणीकरण कर दिया जाय तो उन्हें संगठित क्षेत्रों में नौकरियां मिलने में आसानी होगी साथ ही उनके पारिश्रमिक में भी वृद्धि हो सकती है |

इसके साथ ही सूचित करना है कि विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनायें यथा AMRUT, Housing for All (HFA), Swachha Bharat Mission (SBM), आदि में भी कुशल कामगारों की आवश्यकता है |

उपरोक्त वर्णित मांग की पूर्ति हेतु कौशल प्रशिक्षण का कार्य Recognition of Prior Learning (RPL) एवं Re-Skilling के माध्यम से किया जा सकता है | इस सम्बंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में भी अनुरोध किया गया था | विदित हो कि विभाग द्वारा कौशल प्रशिक्षण का कार्य BSDM के माध्यम से किया जाना है | RPL के सम्बंध में BSDM द्वारा अभी तक कोई दिशा- निर्देश निर्गत नहीं किया जा सका है | फलस्वरूप RPL के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य संभव नहीं हो पा रहा है |

अतः अनुरोध है कि RPL के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश के साथ प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की सूचि भी उपलब्ध कराया जाय ताकि RPL के तहत् कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सके |

विश्वासभाजन

4/8/2017

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग